सेवा में –

माननीय अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
फरीदकोट नई दिल्ली
भारत पिन– 110001

दिनांक– 02/07/2023

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0– 521/2022 , सम्पूर्णा नन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01/09/2022 के सम्बंध में–

महोदय्–

सादर अवगत कराना है कि उक्त केस में माननीय अधिकरण के निर्देश पर **दिनांक 23 व 24 नवम्बर 2022 को अहरौरा थाना क्षेत्र के भगौती देई, सोनपुर, बियाहूर व चकजाता** के पहाड़ो के खनन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण केन्द्रीय जॉच समिति द्वारा किया गया था जिसमें बहुत ही ज्यादा खामियॉ पाई गई थी जिसकी रिपोर्ट भी माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में **दिनांक 03/02/2023 को केन्द्रीय जॉच समिति द्वारा भेजा गया था जो 06/02/2023 माननीय एनजीटी के साइट पर अपलोड किया चुका है ।** जिसमें कुल 40 खनन पट्टों का जिक है जिसमें से 39 खनन पट्टों के संचालकों पर सम्भावित जूर्माने की राशि बतायी गई थी साथ ही 26 केशर प्लांटों का भी जिक्र था और बताया गया था कि सभी मानक विपरीत संचालित हो रहे हैं जिसमें यह नही बताया गया था कि किस केशर प्लांट पर कितनी कितनी खामिया मिली जिसे माननीय अधिकरण ने गम्भीरता से लेते हुए **दिनांक 27/04/2023** जॉच समिति को यह निर्देश दिया कि प्रत्येक केशर प्लांटों का स्थलीय निरीक्षण करके प्रत्येक केशर प्लांटों का रिपोर्ट माननीय अधिकरण में 2 महीने के अन्दर सौप दें। जिसके उक्त निर्देश के कम में **श्रीमान् जिलाधिकारी मिर्जापुर की ओर से बनाई गई संयुक्त समिति ने दिनांक – 18/06/2023 को उपजिलाधिकारी चुनार के नेतृत्व में जॉच किया गया जिसमें दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के माध्यम से पता चला कि श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि स्टोन केशर प्लांटों पर पर न तो समुचित ऊंचाई में बाउंड्रीवाल मिली न ही हरित पट्टिका विकसित करने के लिए पौधरोपण कराया गया था।पानी के छिड़काव आदि की व्यवस्था भी मानक के अनुरुप नहीं थी। वाटर मीटर भी नहीं पाया गया । यहां उड़ने वाली धूल के निस्तारण के लिए भी समुचित प्रबंध नहीं मिले। दिनांक 19/06/2023 के दैनिक जागरण समाचार पत्र का छाया प्रति संलगन है।**

दिनांक 27/04/2023 के निर्देश पर ही संयुक्त जांच समिति ने **दिनांक 01/07/2023 को क्षेत्र के 26 केशर प्लांटों का स्थलीय निरीक्षण किया** संयुक्त जांच समिति द्वारा किसी तरह की जांच कि सूचना प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी काफी देर बाद प्रार्थी को इसकी सूचना क्षेत्र के किसी व्यक्ति से प्राप्त हुई तो प्रार्थी भी मौके पर पहुचा जिसके बाद 6 केशर प्लांटों का निरीक्षण किया गया संयुक्त जांच टीम ने बताया कि 20 केशर प्लांटों का निरीक्षण आपके यहां आने से पूर्व किया जा चुका है महोदय प्रार्थी के उपस्थिति में जिन 6 केशर प्लांटों का निरीक्षण किया गया था वे सब बिल्कुल ही मानक विपरीत विना किसी मानक के थे । महोदय दिनांक 03/07/2023 को उक्त मुकदमें की सूनवाई है लेकिन अभी जांच ही चल रही है ऐसे में लगता है कि क्षेत्रिय अधिकारीयों के द्वारा इसमें जानबूझ कर विलम्ब किया जा रहा है ऐसे जितने भी केशर प्लांट और खनन पट्टे विना मानक के संचालित हो रहे हैं जैसा कि दो जांचों में बताया जा चूका है ऐसे में किसी अन्य जांच की आवश्यकता हो भी तो कम से कम जांच तक सभी का संचालन बंद करवाने की कृपा करें जिससे आम जन मानस को कुछ राहत मिल सके।

महोदय जितना बिलम्ब हो रहा है उतना ही प्रार्थी व परिवार के जानमाल के खतरे की संभावनाए बढ़ रही है ऐसे में माननीय अधिकरण से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी व परिवार के जानमाल की सुरक्षा हेतु स्थानीय प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें जिससे प्रार्थी व परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए जिससे प्रार्थी व परिवार के लोगों की जानमाल की रक्षा हो सके क्योकि खनन माफियाओं द्वारा प्रार्थी को बार बार जान से मारने कि धमकियां दी जा रही है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि अब तक 3 बार सक्षम अधिकारीयों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें क्षेत्र में संचालित लगभग सभी केशर प्लांट व खनन पट्टे मानक विहिन कार्य करते पाए गए ऐसे में क्षेत्र में संचालित सभी मानक विहिन केशर प्लांटों व खनन पट्टों पर तत्काल रोक लगाते हुए वैधानिक कार्यवाही किया जाए । साथ ही आपसे विनम्र निवेदन के साथ यह भी कहना है कि आगे भी कोई जांच हो तो इसकी सूचना कम से कम 1 दिन पहले प्रार्थी को दिया जाए और जो भी रिपोर्ट बनाई जाय सम्भव हो तो एक प्रति उसी दिन प्रार्थी को भी दिया जाए आपकी अतिकृपा होगी।

प्रार्थी

Sampurnanand

सम्पूर्णा नन्द 01/07/2023

ग्राम– भगौती देई, पो0– पटिहटा, चुनार थाना– अहरौरा मिर्जापुर उ0प्र0

पिन– 231304 मो0– 9450936703 इमेल 89sampurna@gmail.com

एनजीटी के आदेश पर टीम ने 26 क्रशर प्लांटों की कराई जांच

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर) : राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर जिलाधिकारी की ओर से बनाई गई संयुक्त समिति ने रविवार को अहरौरा क्षेत्र में संचालित 26 क्रशर प्लांटों में तय मानकों की स्थलीय जांच की। उपजिलाधिकारी नवनीत सेहरा के नेतृत्व में पहुंची टीम को क्रशर प्लांटों की जांच के दौरान कई कमियां मिलीं। टीम ने अहरौरा, सोनपुर, भगौतीदेई, चकजाता खनन क्षेत्र में स्थापित क्रशर प्लांटों की जांच की।

प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन व पुलिस विभाग की जांच के बाद खनन बेल्ट में क्रशर संचालकों में अफरा तफरी मची रही। एसडीएम ने बताया कि स्टोन क्रशर प्लांटों पर न तो समुचित ऊंचाई में बाउंड्रीवाल मिली न ही हरित पट्टिका विकसित करने के लिए पौधरोपण कराया गया था। पानी के छिड़काव आदि की व्यवस्था भी मानक के अनुरूप नहीं थी। वाटर मीटर भी नहीं पाया गया। यहां उड़ने वाली धूल के निस्तारण के लिए भी समुचित प्रबंध नहीं मिले।

एसडीएम ने बताया कि अभियान कंस्ट्रक्शन, मां गायत्री स्टोन वर्क्स, महाकाल माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, उमा स्टोन, आइडियल विजन, राज एसोसिएट्स, एसपीबीआर इंफ्राटेक प्राइवेट लि. सहित 26 क्रशर प्लांटों की जांच की गई।

मौके पर मिली कमियों के आधार पर संयुक्त आख्या रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से एनजीटी को प्रेषित की जाएगी।

सिरसी नहर में मिली अचेतावस्था में बालिका